न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5694/2018/होशंगाबाद/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 31.08.2018 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 276/अपील/2017-18.

---

1. संतोष कुमार आ. श्री भोजराज किरार
2. विवेक कुमार आ. श्री गनेशराम

दोनों निवासी ग्राम पुरैनाकला,
तहसील बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्रीमती श्यामबाई पत्नी स्वर्गीय श्री रमसे
2. यशवंतीबाई पुत्री श्री रमसे
3. नविताबाई पुत्री श्री रमसे
4. गनेशराम पुत्र श्री लालसिंह
5. भोजराज पुत्र श्री लालसिंह

क्र. 1 से 5 तक निवासी ग्राम पुरैनाकला,
तहसील बनखेड़ी, होशंगाबाद

6. लक्ष्मीबाई पुत्री श्री लालसिंह किरार

निवासी ग्राम सोहनजी, तहसील बनखेड़ी,
जिला होशंगाबाद, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री मेघदीप गौर, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/6/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 31.08.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण श्री संतोष कुमार एवं विवेक कुमार द्वारा विचारण न्यायालय तहसीलदार, बनखेड़ी के समक्ष दिनांक 12.10.2010 को संहिता की धारा 109, 110 के प्रावधान अंतर्गत एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पुरैनाकला स्थित भूमि खसरा नंबर 216/1 रकबा 6.85 एकड़ जो कि शासकीय रिकार्ड में छोटीबाई पत्नी स्व. श्री लालसिंह किरार सा.देह भूमिस्वामी के नाम दर्ज भूमि है। श्रीमती छोटीबाई पत्नी स्व. श्री लालसिंह, आवेदकगण की सगी दादी है तथा श्रीमती छोटीबाई ने अपने जीवनकाल में अपने हक व अधिकार की प्रश्नाधीन भूमि अपनी पूर्ण सहमति से समक्ष गवाहन वसीयत, आवेदकगण के पक्ष में निष्पादित की है तथा श्रीमती छोटीबाई का देहांत दिनांक 08.09.2010 को ग्राम पुरैनाकला में हो गया है। वसीयत के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण के नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज करने का आग्रह किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन के आधार पर प्रकरण क्र. 05/अ-6/10-11 दर्ज कर दिनांक 07.05.2012 को अंतरिम आदेश पारित किया गया। विचारण न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर, होशंगाबाद के समक्ष निगरानी प्रकरण प्रस्तुत किया गया। अपर कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 22.01.2014 अनुसार निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया कि विधि के सम्यक अनुक्रम में प्रकरण का गुणदोष के आधार पर निराकरण करें। उक्त निर्देश के पालन में विचारण न्यायालय द्वारा पुन: आदेश दिनांक 25.08.2017 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया के समक्ष दिनांक 04.09.2017 को प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19.02.2018 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई, जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 31.08.2018 को आदेश पारित कर अपील निरस्त कर दी गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक कोई लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अत: उनके द्वारा प्रस्तुत निगरानी मेमो में उठाये गये बिंदुओं के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है। निगरानी मेमों में प्रस्तुत तर्कों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि आवेदकगण के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर आवेदकगण ने तहसीलदार के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में मूल वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया और वसीयतनामे के गवाह पर्वतसिंह एवं

धीरजसिंह के कथन अंकित कराये गये उक्त दोनों साक्षियों ने अपने बयान में वसीयतनामा प्रमाणित किया है। अनावेदकगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई, जिससे वसीयत को संदेहास्पद माना जाये, इस तरह आवेदकगण के कथनों से श्रीमती छोटीबाई द्वारा उसके जीवनकाल में स्वस्थ मन से बगैर किसी डर दबाव के अपने मालकानाहक की भूमि को आवेदकगण के पक्ष में वसीयत करना प्रमाणित हुआ है।

(2) तसीलदार द्वारा आवेदकगण के नाम दर्ज नहीं किये गये और अनावेदकगण के नाम दर्ज करने के संबंध में जो निष्कर्ष लिये हैं, वह विधिवत नहीं है। उन्हें देखना चाहिए था कि अनावेदक क्र. 1 लगायत 3 ने असत्य तथ्यों के आधार पर एक झूठा दावा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 पिपरिया के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसकी अपील छोटीबाई ने अपर जिला न्यायाधीश, सोहागपुर में प्रस्तुत की, जिससे यह प्रमाणित है कि अनावेदकगण छोटीबाई की संपत्ति को हथियाना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने व्यवहार न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था।

(3) अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना चाहिये था कि वसीयतकर्ता के विरूद्ध संपत्ति हड़पने की नियत से अनावेदकगण ने व्यवहार न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया था, इसी कारण वसीयतनामे में अनावेदकगण को छोटीबाई द्वारा संपत्ति नहीं दी गई है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं लिये हैं।

(4) अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 एवं उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 में दर्शाये अनुसार वसीयतनामे को एक गवाह के कथन से सबूत कराया जा सकता है। प्रकरण में वसीयत के दो गवाहों के कथन कराये गये हैं और उक्त गवाहों ने वसीयत को प्रमाणित किया है, लेकिन इस विधिक स्थिति को अनदेखा करने में अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की है।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण एवं अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर कोई निष्कर्ष नहीं लिये हैं और मनमाना आदेश पारित किया है। उन्हें देखना चाहिए था कि आवेदकगण ने वसीयत के गवाह के कथन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कराये हैं और प्रकरण में ऐसी कोई स्थिति नहीं आई, जिससे वसीयतनामा संदेहास्पद हो।

(6) अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना चाहिये था कि श्रीमती छोटीबाई के पुत्र भोजराज एवं गणेशराम ने वसीयत के निष्पादन का समर्थन किया है तथा लक्ष्मीबाई ने भी वसीयतनामा निष्पादित किया जाना स्वीकार किया है, जिसके फलस्वरूप यह निष्कर्ष लेना चाहिए था कि श्रीमती छोटीबाई द्वारा विधिवत वसीयतनामा आवेदकगण के पक्ष में निष्पादित किया गया है, लेकिन ऐसा न कर अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने वसीयतनामा दिनांक 25.07.2010 का भलीभांति साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 एवं उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के अनुरूप परीक्षण व सबूत कराया जाकर वसीयत के साक्षीगण के कथन एवं प्रतिपरीक्षण किये जाने पर प्रतिपादक तथा अनुप्रमाणक साक्षी के कथनों में परस्पर विरोधी बातें होने पर संदेह की स्थिति उत्पन्न होने तथा आवेदक संतोष के पक्ष की ओर से संदेह से परे साबित न किये जाने से वसीयत के आधार पर नामांतरण आवेदन निरस्त किया है, जो कि विधिसम्मत आदेश है। यह भी स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

इसी प्रकार 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

उपरोक्त न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2018 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर